

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

क्रमांक: प.17(11)राभ/2013/5632


दिनांक 30 सितम्बर, 2024

आदेश

पूर्व में जारी आदेश क्रमांक प.17(11)राभ/2013/2995, दिनांक 15.07.2021 के अधिक्रमण में एवं महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अनुसरण में राज्यपाल सचिवालय में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु आन्तरिक शिकायत समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम	मनोनीत पदनाम	पता	दूरभाष संख्या
1.	डॉ. कविता सिंह, निदेशक (जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ) एवं संयुक्त सचिव, राज्यपाल, राजस्थान	अध्यक्ष	राजभवन सिविल लाईन्स, जयपुर	9864257012
2.	श्रीमती संध्या शर्मा, वित्तीय सलाहकार, राज्यपाल सचिवालय	सदस्य सचिव	राजभवन सिविल लाईन्स, जयपुर	9854636909
3.	श्रीमती प्रमिला संजय, चेररपर्सन, नेशनल रोड सेपटी टास्क फोर्स, यूएनजीसीएनआई, इण्डिया (स्वयं सेवी संस्था से नामित महिला प्रतिनिधि)	सदस्य	4-kha-17, Jawahar Nagar, Jaipur, 302004	9829215633
4.	श्री मोहम्मद रईस, सहायक सचिव	सदस्य	एच-408, आजाद मार्ग, सी स्कीम, जयपुर	9214631201

आन्तरिक शिकायत समिति प्राप्त सूचनाओं का रजिस्टर में इन्द्राज कर उन पर यथाशीघ्र जांच की कार्यवाही करेगी तथा जांच कार्यवाही का विवरण अंकित करते हुए रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेगी। समिति के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम तीन वर्ष अथवा अग्रिम आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए होगा।



(डॉ. पृथ्वी)
सचिव

राज्यपाल, राजस्थान

दिनांक 30 सितम्बर, 2024

क्रमांक: प.17(11)राभ/2013/5633

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग, जयपुर।
2. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. श्रीमती प्रमिला संजय, चेररपर्सन, नेशनल रोड सेपटी टास्क फोर्स, यूएनजीसीएनआई, इण्डिया, 4-kha-17, Jawahar Nagar, Jaipur, 302004
6. संबंधित अधिकारीगण, राजभवन, जयपुर।
7. कन्ट्रोलर, राजभवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि गठित समिति के सदस्यों का विवरण राजभवन में मुख्य स्थान पर प्रदर्शित करावें।
8. सूचना पट्ट।

उप सचिव

राज्यपाल, राजस्थान